राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3127/2023
सत्येन्द्र पारीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री अनिल मीणा, अधिशाषी अभियंता, हाल पदस्थापित जल संसाधन, खण्ड कोटा।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.102023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जल संसाधन खण्ड कोटा से अधिशाषी अभियंता एवं तकनीकी सहायक वास्ते अधीक्षक अभियंता, सिंचाई वृत्त सीएडी, कोटा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानान्तरण आदेश निजी प्रत्यर्थी अनिल मीणा को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजन करने की दृष्टि से पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। ऐसे में प्रतिबन्ध की अवधि में स्थानान्तरण किये जाने का आदेश गलत है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश पारित करने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। स्वीकृति की प्रति भी प्रत्यर्थी विभाग की ओर प्रस्तुत की गयी है। प्रत्यर्थी विभाग का यह भी कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोटा में

ही अन्य विभाग में किया गया है, जो प्रशासनिक एवं जनहित कारणों से किया गया है।

3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी ने स्थानान्तरण आदेश की पालना में दिनांक 11.12.2023 को पदभार ग्रहण कर लिया है और अपीलार्थी कार्यमुक्त हो चुका है।

4. हमनें पक्षकारों द्वारा दिये तर्को पर विचार किया।

5. जहां तक अपीलार्थी की आपत्ति रही है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबन्ध की अवधि में किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि स्थानान्तरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री की सहमति से पारित किया गया है, ऐसे में हम प्रतिबन्ध अवधि में स्थानान्तरण को नियम विरूद्ध होना नहीं पाते हैं। केवल मात्र इस आधार पर कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, तो यह नहीं माना जा सकता कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस. सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

6. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the*

same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)